नीलकण्ठन और ब्रदर्स निर्माण

बनाम

अधीक्षण अभियंता, राष्ट्रीय राजमार्ग,

सलेम एवं अन्य

16 अगस्त 1988

[सब्यसाची मुखर्जी और एस. रंगनाथन, जे.जे.]

मध्यस्थता अधिनियम, 1940: धारा 2, 20, 30 और 33-मध्यस्थता- पार्टियों के बयान दायर किए गए-साक्ष्य प्रस्तुत किए गए-मध्यस्थ का परिवर्तन-पार्टियों ने विरोध नहीं किया और सफलता से पहले कार्यवाही में भाग नहीं लिया-क्या यह सहमति के बराबर है-उत्तराधिकारी की नियुक्ति क्या अमान्य कार्यवाही के रूप में चुनौती दी जा सकती है - पंचाट - अनुचित - कोई कानूनी प्रस्ताव नहीं दिया गया - क्या इसमें हस्तक्षेप किया जा सकता है।

याचिकाकर्ता-निर्माण फर्म ने कुछ सिविल कार्यों के निष्पादन के लिए प्रतिवादी संख्या 3, एक सर्किल के अधीक्षण अभियंता के साथ समझौता किया। प्रतिवादी संख्या 1 - दूसरे सर्किल के अधीक्षण अभियंता ने मध्यस्थता के लिए एक संदर्भ दर्ज किया और पार्टियों ने बयान दर्ज किए और सबूत पेश किए। निर्णय पूरा होने से पहले, प्रतिवादी नंबर 1 को

स्थानांतरित कर दिया गया और उसके उत्तराधिकारी ने कार्यवाही में याचिकाकर्ता की जानकारी, सहमति और सक्रिय भागीदारी के साथ निर्णय के कार्य में प्रवेश किया। चूंकि मध्यस्थ समय के भीतर निर्णय पूरा नहीं कर सका, इसलिए उसने याचिकाकर्ता को एक पत्र के माध्यम से समय बढ़ाने की मांग की और याचिकाकर्ता एक पत्र के माध्यम से इस तरह के विस्तार के लिए सहमत हुआ। याचिकाकर्ता ने कोई सबूत पेश करने के लिए कोई और या नया मौका नहीं मांगा। इसके बाद, मध्यस्थ ने अपना फैसला सुनाया।

याचिकाकर्ता ने मध्यस्थता अधिनियम, 1940 के अन्तर्गत धारा 30 और 33 के तहत फैसले को चुनौती दी। जिला न्यायाधीश के समक्ष इस आधार पर पेश किया गया कि पिछले मध्यस्थ ने संदर्भ में प्रवेश किया था, उसके उत्तराधिकारी-कार्यालय के पास इसे समाप्त करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था और पंचाट प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन था।

जिला न्यायाधीश ने माना कि मूल मध्यस्थ का उत्तराधिकारी निर्णय पारित करने में सक्षम था। इसे बरकरार रखते हुए हाई कोर्ट ने फैसले को दी गई चुनौती को खारिज कर दिया। इसलिए याचिकाकर्ता ने इस न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका दायर की, जिसमें कहा गया कि एक बार एक मध्यस्थ ने एक संदर्भ में प्रवेश कर लिया, तो अगला पदाधिकारी

नए समझौते के बिना उक्त मध्यस्थता कार्यवाही को समाप्त नहीं कर सकता था, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन और यह पंचाट ख़राब था।

विशेष अनुमति याचिका खारिज करते हुए,

अभिनिर्धारित किया गया: 1. यदि संदर्भ के पक्ष या तो नियुक्ति की विधि से पहले ही सहमत हैं, या बाद में सभी परिस्थितियों की पूरी जानकारी के साथ की गई नियुक्ति से सहमत हैं, तो उन्हें अमान्य मानते हुए ऐसी नियुक्ति पर आपत्ति करने से रोक दिया जाएगा। बाद की कार्यवाही प्रासंगिक तथ्य की पूरी जानकारी के साथ कार्यवाही में भाग लेना और भाग लेना इस तरह के अधिग्रहण के समान होगा। [465 जी]

एन. चैलप्पन बनाम सचिव, केरल राज्य विद्युत बोर्ड और अन्य, [1975] 1 एस.सी.सी. 289 पर भरोसा किया।

चौधरी मुर्तजा हुसैन बनाम मुसुमत बीबी बेचुन्निसा, 3 आई.ए. 209 और प्रसून रॉय बनाम कलकत्ता मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी और अन्य, [1982] 2 स्केल 125, का पर भरोसा किया।

मध्यस्थता पर रसेल, 18 वां संस्करण/20 वां संस्करण, पृष्ठ 105/432-435, पर भरोसा किया।

मौजूदा मामले में, याचिकाकर्ता को पदधारी के बदलाव की पूरी जानकारी थी और उसने विरोध नहीं किया और नये पदधारी के समक्ष कार्यवाही चलती रही। इस प्रकार, याचिकाकर्ता को कथित दोष का ज्ञान था और उसने उत्तराधिकारी के समक्ष कार्यवाही को स्वीकार कर लिया था। इसलिए, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का कोई उल्लंघन नहीं हुआ। (465 सी, एफ]

2. जब तक कि कानून की कोई स्पष्ट गलती न हो और तथ्यों का घोर गलत बयान न हो, जिसके परिणामस्वरूप न्याय या समता का ह्रास होता हो, पंचाट अप्राप्य रहता है। [466 सी]

चैम्पसी भारा एंड कंपनी बनाम जीवराज बल्लो स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी लिमिटेड, 50 आई.ए. 324 और फर्म मदनियल रोशनलाल महाजन बनाम हुकुमचंद मिल्स लिमिटेड, इंदौर, [1967] 1 एस.सी.आर. 105, पर भरोसा किया।

मौजूदा मामले में, मध्यस्थ ने फैसले के लिए कोई कारण नहीं बताया। ऐसा कोई कानूनी प्रस्ताव नहीं है जो पंचाट का आधार हो, यहां तक कि ऐसा कोई कानूनी प्रस्ताव भी नहीं है जो गलत हो। मध्यस्थ के फैसले के खिलाफ कोई अपील नहीं है। ऐसी परिस्थितियों में, न्यायालय पंचाट की समीक्षा नहीं कर सकता और मध्यस्थ द्वारा निर्णय में किसी भी गलती को ठीक नहीं कर सकता। [466 डी]

3. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, पंचाट अजेय है। उच्च न्यायालय ने जिला न्यायाधीश द्वारा पंचाट को दी गई चुनौती को खारिज करने को सही ठहराया। [466 एफ)

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: विशेष अनुमति याचिका 1987 (सिविल) संख्या 11650-58

1981 के आदेश क्रमांक 541 से 544 और 558 से 562 के विरुद्ध अपील में मद्रास उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 31.7.1987 से।

याचिकाकर्ताओं के लिए ए.के. सेन, वी. कृष्णमूर्ति और वी. बालचंद्रन।

उत्तरदाता के लिए ए.वी. रंगम।

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया।

सब्यसाची मुखर्जी, जे.

ये संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत याचिकाएं हैं, जिसमें मद्रास उच्च न्यायालय के 31 जुलाई, 1987 के फैसले और आदेश के खिलाफ अपील करने की अनुमति मांगी गई है। याचिकाकर्ता कंपनी ने फुटपाथों को चौड़ा करने और मजबूत करने का काम किया है, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 में, मदुरई-कन्या-कुमारी रोड 37.6 किमी से 213 कि.मी. तक पहुंचती

है। मदुरई-कन्याकुमारी रोड पर और काम को चौदह में विभाजित किया गया था और 14 अलग-अलग समझौते किए गए थे।वर्तमान याचिका याचिकाकर्ता और प्रतिवादी नंबर 3 अधीक्षण अभियंता, राष्ट्रीय राजमार्ग, तिरुनेलवेली, के बीच है। इस बात पर ज्यादा विवाद नहीं है। याचिकाकर्ता के अनुसार, प्रासंगिक समय में, अधीक्षण अभियंता, राष्ट्रीय राजमार्ग, सेलम थिरु मोहन थे। उन्होंने सन्दर्भ में निर्देश दिया। उन्होंने मामले को मध्यस्थता के लिए उठाया और पार्टियों से बयान मांगे। उनके सामने बयान दर्ज कराए गए और सबूत भी पेश किए गए। लेकिन इससे पहले कि वह निर्णय पूरा कर पाते, उनका तबादला कर दिया गया और उनके स्थान पर थिरु जे.आर. कॉर्नेलियस, अधीक्षण अभियंता को नियुक्त किया गया। इस मामले में याचिकाकर्ता का तर्क यह था कि मध्यस्थता को आगे बढ़ाने और पूरा करने का उसके पास कोई क्षेत्राधिकार नहीं था। हालाँकि, ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने याचिकाकर्ता की जानकारी और सहमति से निर्णय के कार्य में प्रवेश किया और याचिकाकर्ता ने उनके समक्ष कार्यवाही में सक्रिय रूप से भाग लिया। पहले थिरु मोहन द्वारा और बाद में थिरु कॉर्नेलियस द्वारा दिए गए नोटिस से, यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता को अधीक्षण अभियंता के पदधारी के परिवर्तन की जानकारी थी, जिसे मामले में मध्यस्थता करनी थी। वर्तमान पेपर बुक के पृष्ठ 164 और 165 पर प्रदर्शित दस्तावेजों से यह स्पष्ट है और दोनों पक्षों को कार्यालय में उत्तराधिकार की सूचना थी। मध्यस्थ समय के भीतर निर्णय पूरा नहीं कर

सका और समय बढ़ाने की आवश्यकता थी। उन्होंने 1 मई, 1977 को याचिकाकर्ता को एक पत्र लिखा जिसमें कहा गया था कि "संदर्भ पर आदेश पारित करने के लिए समय का विस्तार आवश्यक था और सुनवाई समाप्त हो चुकी है"। 11 मई, 1977 को उस पत्र के जवाब में याचिकाकर्ता इस तरह के विस्तार के लिए सहमत हुआ। याचिकाकर्ता उस स्थिति से संतुष्ट था और उसने कभी भी कोई सबमिशन करने या कोई सबूत पेश करने के लिए कोई और या नया अवसर नहीं मांगा। उस आलोक में मध्यस्थ ने फैसला सुनाया है। इसे मध्यस्थता अधिनियम, 1940 की धारा 30 और 33 के तहत एक मुकदमे के माध्यम से विद्वान जिला न्यायाधीश के समक्ष चुनौती दी गई थी कि पिछले मध्यस्थ थिरु मोहन ने संदर्भ में प्रवेश किया था और थिरु कॉर्नेलियस के पास निष्कर्ष निकालने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था। यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन था, यह प्रस्तुत किया गया था। लेकिन जैसा कि यहां पहले उल्लेख किया गया है, याचिकाकर्ता को पदधारी के परिवर्तन की जानकारी थी। उन्होंने कोई विरोध नहीं किया और थिरु कॉर्नेलियस के समक्ष कार्यवाही चलती रही। पक्षों के बीच समझौते की शर्तों से यह स्पष्ट है कि उस समय सर्कल के अधीक्षण अभियंता को मध्यस्थ नामित किया गया था। विद्वान जिला न्यायाधीश ने माना कि थिरु कॉर्नेलियस पुरस्कार पारित करने में सक्षम थे। उच्च न्यायालय ने भी इसे बरकरार रखा और याचिकाकर्ता द्वारा इस आधार पर पुरस्कार को दी गई चुनौती को खारिज कर दिया।

याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील श्री ए.के. सेन ने हमारे सामने आग्रह किया कि एक बार एक मध्यस्थ ने संदर्भ में प्रवेश कर लिया, तो अगला पदधारी नए समझौते के बिना उक्त मध्यस्थता कार्यवाही को समाप्त नहीं कर सकता है। इस मामले के तथ्यों में, चूंकि याचिकाकर्ता को कथित दोष का ज्ञान था और उसने उत्तराधिकारी, अर्थात् थिरु कॉर्नेलियस के समक्ष कार्यवाही में सहमति व्यक्त की थी, हमारी राय है, कि श्री सेन के इस तर्क पर विचार नहीं किया जा सकता है। दलील दी गई कि यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है। इस आपत्ति पर विचार नहीं किया जा सकता। यदि संदर्भ के पक्ष या तो पहले से ही नियुक्ति की विधि से सहमत हैं, या बाद में सभी परिस्थितियों की पूरी जानकारी के साथ की गई नियुक्ति में सहमति देते हैं, तो उन्हें बाद की कार्यवाही को अमान्य करने के रूप में ऐसी नियुक्ति पर आपत्ति करने से रोक दिया जाएगा। मध्यस्थता पर रसेल बताते हैं कि प्रासंगिक तथ्य की पूरी जानकारी के साथ कार्यवाही में भाग लेना और भाग लेना ऐसी सहमति होगी। 18 वां संस्करण के पृष्ठ 105 पर। यह न्यायिक समिति द्वारा बहुत पहले चौधरी मुर्तजा होसेन बनाम मुसुमत बीबी बेचुन्निसा, 209. के 3 1.ए में कहा गया था। पी.बी. मुखर्जी, जे की टिप्पणियाँ भी देखें, जुपिटर जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम कॉर्पोरेशन में कलकत्ता उच्च न्यायालय के फैसले में कलकत्ता, ए.आई.आर. 1956 कलकत्ता 470 व 472। इस न्यायालय ने एन. चैलप्पन बनाम सचिव, केरल राज्य विद्युत बोर्ड और

अन्य, [1975] 1 एस.सी.सी. 289 में फैसला सुनाया कि सहमति ने बाद के चरण में अपीलकर्ता के अधिकार को पराजित कर दिया। प्रसून रॉय बनाम कलकत्ता मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी और अन्य, [1982] 2 स्केल 125 में इस न्यायालय की टिप्पणियों को भी देखें। मध्यस्थता पर रसेल, 20 वां संस्करण, पृष्ठ 432-435 देखें। श्री सेन ने दलील दी कि नये मध्यस्थ की नियुक्ति के बाद कोई नोटिस जारी नहीं किया गया। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, यह तथ्यात्मक रूप से ग़लत था। फिर, यह कहा गया कि यह पंचाट ख़राब था क्योंकि इसमें सभी दावों पर विचार नहीं किया गया। इसका भी मनोरंजन नहीं किया जा सकता। यह माना जाना चाहिए कि मध्यस्थ ने अपने समक्ष प्रस्तुत सभी साक्ष्यों पर विचार किया था। कानून के किसी भी सिद्धांत की कोई अवहेलना नहीं की गई। ऐसा कोई संकेत नहीं था कि मध्यस्थ ने सभी साक्ष्यों पर विचार नहीं किया था। जब तक कि क़ानून की कोई पेटेंट ग़लती और घोर ग़लत बयानी न हुई हो। तथ्यों के विश्लेषण के परिणामस्वरूप न्याय या समता का ह्रास होता है, पंचाट अजेय रहता है। इस मामले में मध्यस्थ ने फैसले का कोई कारण नहीं बताया। ऐसा कोई कानूनी प्रस्ताव नहीं है जो पंचाट का आधार हो, यहां तक कि ऐसा कोई कानूनी प्रस्ताव भी नहीं है जो गलत हो। मध्यस्थ के फैसले के खिलाफ कोई अपील नहीं है। ऐसी परिस्थितियों में, न्यायालय पंचाट की समीक्षा नहीं कर सकता है और मध्यस्थ द्वारा निर्णय में किसी भी गलती को ठीक नहीं कर सकता है - देखें चैम्पसी भारा एंड कंपनी

बनाम जिव्रे बल्लो स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी लिमिटेड, 50 आई.ए 324 और फर्म मदनियल रोशनलाल महाजन बनाम हुकुमचंद मिल्स लिमिटेड, इंदौर में बच्चावत, जे. की न्यायालय टिप्पणियाँ, [1967] 1 एस.सी.आर. 105।

मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, हमारी राय में, यह पंचाट अस्वीकार्य नहीं है। इसलिए, उच्च न्यायालय ने विद्वान जिला न्यायाधीश द्वारा पंचाट को दी गई चुनौती को खारिज करने को सही ठहराया। इसलिए, ये याचिकाएँ विफल हो जाती हैं और लागत के संबंध में बिना किसी आदेश के तदनुसार खारिज कर दी जाती हैं।

एन.पी.वी. याचिकाएं खारिज कर दी गईं।

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" के जरिये अनुवादक की सहायता से किया गया है ।

अस्वीकरण - इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।